International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197
Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 1022-1028

गोंड़ जनजाति : एतिहासिक परिप्रेक्ष्य

डॉ. चौधुरी शिवव्रत महान्ति
निदेशक, कृष्णराव शोध संस्थान, अतिथि विद्वान, प्राचीन इतिहास, रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

गोंड़ जनजाति भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाली, मध्य भारत का विशाल जनजातीय समुदाय है। गौरव पूर्ण इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से संयुक्त यह जनजाति मध्यप्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश में निवास करती है। (तिवारी, एस. 1992) विश्व में शायद ही कोई अन्य जनजाति गोंड़ों जैसी प्राचीन गौरवमय इतिहास वाली एवं बदलते हुए समय में अपने को युग के सांचे में ढालने वाली हो, जो सभी परिवर्तनों के साथ ही साथ अपनी जनजातीय विशेषताएँ भी अक्षुण्ण रखे हुए हों। 2001 की जनगणना के अनुसार गोड़ जनजाति की कुल जनसंख्या 97,28,976 है। केवल मध्यप्रदेश में ही 43,57,918 गोंड़ जनजाति के लोग निवास करते हैं, जो कि मध्यप्रदेश कि कुल आबादी का 35 प्रतिशत हैं। मण्डला जनपद में सर्वाधिक जनसंख्या गोंड़ जनजाति की है।

ऐतिहासिक सन्दर्भ

वर्तमान मध्यप्रदेश के एक बड़े हिस्से पर गोंड़ों न सफलतापूर्वक शासन किया। वर्तमान छत्तीसगढ़, विन्ध्याचल, बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड के अधिकांश क्षेत्रों पर 18वीं सदी तक गोंड़ों के शासन थे। गोंड़ों के सबसे प्रतापी नरेश संग्राम शाह और दलपत शाह थे, जिन्होंने इस वृहद् क्षेत्र में अनेक दुर्गों का निर्माण कराया। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु पर रानी दुर्गावती ने राज्य शासन को कुशलतापूर्वक संभाला। दुर्गावती चन्देल राजपूत कन्या थी और उनका विवाह दलपत शाह से हुआ था। वस्तुतः राजगोंड़ अपने राज्य काल में क्षत्रियत्व का दर्जा प्राप्त कर चुके थे। 1694 ई. में अकबर के सेनापति आसफ खाँ से रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ और वे मृत्यु को प्राप्त हुई। इस युद्ध से गोंड़ साम्राज्य को गहरी क्षति पहुँची। यद्यपि मुगलों के बाद मराठों तक के राज्य में गोंड़ों ने प्रशासन संबन्धी जिम्मेदारियाँ संभाली, किन्तु गोंड़ जनजाति जो विकास के क्रम में आगे बढ़ चुकी थी, सामाजिक टूटन का शिकार होकर रह गयी। कंद मूल और शिकार पर आश्रित रहने वाले गोंड़ कई वर्गों में बंट गए। गोंड़ों की 50 से अधिक उपजातियाँ हैं। एक वर्ग राज पुरूष का हो गया, और दूसरा सामन्तों या धनाढयों का जो शासन छिन जाने पर स्थाई कृषक के रूप में जीवकोपार्जन करने लगे।

मण्डला के गोंड़ राजवंश

जनश्रुति के अनुसार, स्लीमैन (1844) राजा वेन (श्रीमद भागवत, अध्याय पृष्ठ) के शरीर से उत्पन्न होने के कारण कुछ गोंड़ बेनवंशी गोंड़ कहलाए। इन बेनवंशी गोंड़ों में से एक थे, भुआराव, वे नागवंश थे। उनके पिता राजा कर्ण थे और माता नागवंश की थीं। पंचमढ़ी के तालाब के पास उन दोनों का सहवास हुआ। भुआराव के वंशज नागवंशी गोंड़ कहलाए। इस वंश के अंतिम राजा धारूशाह या धानुपंडा थे, जिनकी पुत्री के साथ यादव राय का विवाह हुआ। धानुपंडा तीन भाई थे। धानुपंडा या धारू शाह, धुरन्धर शाह और महीपत, तीनों भाईयों के बीच राज्य का बंटवारे में, धुरन्धरशाह को छत्तीसगढ, महीपत को देवगढ़ और धानु पंडा को गढ़ा का राज्य मिला, जिसके अन्तर्गत मण्डला, रायगढ़, लांजी, हटा, कामता, खैरागढ़, धुर्राई, खदान, कवर्धा, पुरूलिया, चौरागढ़, और नरसिंहपुर थे। राजधानी गढ़ा थी। यादव राय के संबंध में दो प्रकार की किंवदतिया प्रसिद्ध हैं – पहली किंवदन्ती के अनुसार यादव राय दक्षिण के कच्छवाह क्षत्रिय थे।

या (देव) गयो नागवंश प्रतिष्ठः स्वादेशीय कच्छावाहः स आसीत्।
रामः सीता लक्ष्मणो वायुसुनूटदर्यस्मै दत्तस्माथ राज्यं गढ़ायाः।
(गणेनशनृपवर्णम् श्लोक सं. 1)

द्वितीय जनश्रुति के अनुसार, डॉ. हीरालाल (1926) के अनुसार यादव राव गोदावरी नदी के तट पर स्थित सेहल गाँव के निवासी जोधासिंह (राजपूत) के पुत्र थे। इन्होंने गढ़ा के गोंड़ राजा के यहां नौकरी की। दैवीय कृपा (राम जी की) से नागवंशीय राजा की एक मात्र पुत्री रत्नावली का यादव राय से विवाह हुआ और कालांतर में यादव राय एक गढ़ा के राजा हुए। यादव राय के राज्यारोहण की काल 'गढ़ेश नृप वर्नणम्' में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा 215 तदानुसार सन 157 ई. बताया गया है। डॉ. हॉल ने भी निजाम साहिब के ताम्र पक्ष का सन्दर्भ देते हुए यादव राय का समय विक्रम संवत 201 माना है। मंडला जिल के गजेटियर में यादव राय का समय 1181 ई. माना गया है। रामनगर शिलालेख में 47 गोंड़वंशी राजाओं ने नाम अंकित हैं। गढ़ेनृप वर्णनम में गोंड़ वंश के 63 राजाओं के नाम एवं उनके शासन काल का वर्णन किया गया है। राम भरोस अग्रवाल (1961) ने इस सभी राजाओं की सूची कालक्रमानुसार प्रस्तुत की है।

सारणी क्र. 1

राजाओं की क्र. सं	राजा का नाम	मैथिल श्री रूपनाथ के अनुसार काल क्रम			स्लीमन के अनुसार काल क्रम	
		राज्यारंभ विक्रमसंवत	तदनुसार ई. संवत	शासन केवर्ष	राज्यारंभ ई. संवत	शासन के कार्य
1	यादव सिंह	215	158	5	382	5
2	माधव सिंह	220	163	33	387	5
3	जगन्नाथ	253	176	25	420	25
4	रघुनाथ	278	221	74	445	64
5	रूद्रसिंह	352	295	28	509	28
6	बिहारी सिंह	380	323	31	537	31
7	नरसिंह देव	411	354	33	568	33
8	सूर्यभानु	444	387	29	601	29
9	बसुदेव	473	416	18	630	18
10	गोपाल साहि	491	434	42	648	21
11	भूपालसाहि	533	476	60	669	10
12	गोपी नाथ	593	535	37	679	47
13	रामचन्द्र	630	573	13	726	3
14	सुरतान सिंह	643	586	29	729	29
15	हरिहर देव	672	615	17	758	17
15	कृष्ण देव	689	632	54	775	14
17	जगत सिंह	743	686	9	789	9
18	महासिंह	752	695	23	798	23
19	दुर्जन मल्ल	775	718	19	821	19
20	यशः कर्ण	794	737	36	840	36
21	प्रताप दित्य	830	773	24	876	14
22	यशरचन्द्र	854	797	14	900	14
23	मनोहर सिंह	868	811	49	914	29
24	गोविन्द सिंह	917	860	35	943	25
25	रामचन्द्र	952	895	21	968	21
26	कर्ण	973	916	16	989	37
27	रत्न सेन	989	932	31	—	—
28	कमल नयन	1020	963	42	1026	6
29	नरहरि देव	1062	1005	26	1032	7
30	वीर सिंह	1088	1031	7	1039	26
31	त्रिभुवन राय	1095	1038	38	1065	28
32	पृथ्वी राय	1133	1076	21	1093	21
33	भारती चन्द्र	1154	1097	32	1114	2
34	मदन सिंह	1186	1129	20	1116	40
35	उग्रसेन	1206	1149	36	1156	36
36	रामसाहि	1242	1185	30	1192	24
37	ताराचन्द्र	1272	1215	33	1216	34
38	उदय सिंह	1305	1248	15	1250	15
39	भानुमित्र	1320	1263	16	1265	16
40	भवानी दास	1336	1279	12	1281	12
41	षिव सिंह	1348	1291	26	1293	26
42	हरिनारायण सिंह	1374	1317	6	1319	6
43	सबल सिंह	1380	1323	39	1325	29
44	राय सिंह	1419	1362	41	1354	31
45	दादी राय	1460	1403	37	1385	37
46	गोरक्ष दास	1497	1440	46	1422	26
47	अर्जुन सिंह	1543	1486	32	1448	32
48	संग्राम साहि	1575	1518	50	1480	50
49	दलपत साहि	1625	1568	18	1530	18
50	वीर नारायन	1643	1586	15	1548	15
51	चन्द्र साहि	1658	1601	23	1563	12
52	मधुकर साहि	1681	1624	28	1575	24
53	प्रेमनारायण	1709	1652	19	1599	11

54	हिरदैसाहि	1728	1671	32	1610	71
55	छत्र साहि	1760	1703	7	1681	7
56	केसरी साहि	1767	1710	3	1688	3
57	नरेन्द्र साहि	1770	1713	25	1691	40
58	महाराज साहि	1795	1738	12	1731	11
59	शिवराज साहि	1807	1750	7	1742	7
60	दुर्जन साहि	1814	1757	1/2	1749	2
61	निजाम साहि	1814	1752	26	1751	27
62	नरहर साहि	1841	1784	5	1778	3
63	सुमेद साहि	1846	1789	3	1781	–

बेगलर जे. डी. (1847) ने राम नगर शिक्षा लेख में अंकित 1400 वर्षों से अधिक वर्षों तक गोंड बंशावली के शासन पर संदेह व्यक्त किया है। रायबहादुर हीरालाल (1932) ने भी लिखा है कि इस शिलालेख में लिखे गये लगभग आधे नाम काल्पनिक हैं। सच तो यह है कि 13 वीं सदी तक गढ़ मंडला में कलचूरी शासन कर रहे थे। संग्राम साहि के बाद के सभी नाम सही हैं। यादव राय इनके वास्तविक पूर्वज हो सकते हैं। मंडला जिला गजेटियर भी लिखता है कि, इस वंशावली में कई नाम हैहयवंशी राजाओं से मिलते हैं। गोंड़ कल्चुरियों के पतन के पश चात् 14 वीं सदी में इस क्षेत्र में आए। राम भरोसे अग्रवाल ने विविध तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया है कि राम नगर शिलालेख में लिखे गये समस्त नाम वास्तविक एवं ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा है कि गोड़ लोग इस क्षेत्र के प्राचीनतम निवासी हैं, उनमें से कोई धनवान हो गये और छोटे – मोटे राजा भी हो गये। उनका राज्य प्रारम्भ में विस्तृत नहीं था, क्षेत्र उपजाऊ नहीं था, आमदानी कम थी, पर राजा का पद अवश्य था। ऐसी स्थिति यादव राय के 47 पीढ़ी तक चलती रही। आज भी रामनगर शिलालेख में अंकित लगभग सभी राजाओं के नाम के गाँव इस क्षेत्र में मिलते हैं। कल्चुरियों के कमज़ोर होने के प्श्चात् राजा संग्राम साहि ने अपने शासन का विस्तार कर लिया।

1 संग्राम साहि

संग्राम साहि गोंड़ वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा थे। संग्राम शाह ने एक छोटी सी जागीर के स्वामित्व से आरम्भ करके अपने रण कौशल से बावन गढ़ों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।

आसीत्सुनुस्तस्य संग्रामसाहिर्विद्धिठ तुलर्स्तोम कलपान्त वह्नि।
विश्वविव्याप्ते यत्प्रताप प्रकाशे मध्यह नार्को विस्फुलिंगी बभूव।।
(गढ़ेसानृपर्णनम् श्लोक – 14)

52 गढ़ों के स्थापित किये जाने के कारण उसे बावन गढ़ाधिपति की उपाधि भी प्राप्त थी।

बज्रप्रायैः पवंत प्रौढ़गाढ़ैः सुप्राकारैम्बुभिश्चाक्षयाणि
द्येन द्वापचाशधीन दुर्गाणि राज्ञां निवृतानि क्षेणिचक्रं विजित्य।
(राम नगर शिलालेख श्लोक पृ. 15)

अबुलफजल ने महाराज संग्राम साहि के 52 गढ़ों की सूची दी है। 52 गढ़ों के नाम निम्नलिखित है –
1. गढ़ा 2. माड़ौ गढ़ 3. पचेलगढ़ 4. सिंगौरगढ़ 5. अमेदा गढ़ 6. कनौजा 7. बाघमाड़ 8. टीप गढ़ 9. राय गढ़ 10. परतापगढ़ 11. अमरगढ़ 12. देवहार गढ़ 13. पाटन गढ़ 14. फतहपुर 15. नमुआ गढ़ 16. भेवर गढ़ 17. बरगी 18. घनसौर 19. चौरई 20. डोंगरताल 21. करवागढ़ 22. भंजनगढ़ 23. लाफागढ़ 24. सन्ता गढ़ 25. दिमागढ़ 26. बांका गढ़ 27. पवई करही 28. शाहनगर 29. धामौनी 30. हटा 31. माड़ियादौ 32. गढ़ा कोटा 33. शाहगढ़ 34. गढ़ पहरा 35. दमोह 36. रहली 37. इटावा 38. खिमलासा 39. गनौर 40. बारी 41. चौकी गढ़ 42. राहत गढ़ 43. माक्र राही 44. कारू वाग 45. कुरवई 46. रायसेन 47. भौरासो 48. भोपाल 49. ओपद गढ़ 50. पूना गढ़ 51. देवरी और 52. गौरझामर
इस सूची में चौरागढ़, रामनगर और मण्डला के नाम नहीं हैं। संग्राम साहि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कई तालाब, मंदिर, किले आदि बनवाये। अपने राज्य में विभिन्न कलाओं के विद्वानों को संरक्षण देकर, उनकी कला का सम्मान कर उन्हें फलने – फूलने का अवसर दिया। वह स्वयं प्रतिभाशाली थे, उसने संस्कृत में रचनायें भी की थीं, जिसमें 'रस रत्न माला' प्रमुख है। संग्राम साहि ने सोने के सिक्के चलाए, जो लंदन म्यूजियम और कोलकाता म्यूजियम में संग्रहित हैं।

2. दलपति साहि

संग्राम शाह के दो पुत्र थे – दलपति साहि एवं चन्द्र साहि। संग्राम साहि की मृत्यु के पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र दलपति शाहि सिंहासनरूढ़ हुआ। दलपति शाहि सुन्दर, शूर वीर और विद्वान था।

रस गज तिथि युक्ते हायने भूद् गढ़ेशे।
नृप दलपति साहिः दुर्गे स्थितिर्यद।
(गणेश नृप वर्णनम्)

दलपति शाहि का विवाह चन्देल वंश की कन्या दुर्गावती से हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात् दलपति शाहि और दुर्गावती के यहां वीरनारायण नामक पुत्र ने जन्म लिय। सन् 1548 ई. में जब वीरनाराण 05 वर्ष का था, दलपति शाहि की मृत्यु हो गई।

3. दुर्गावती

05 वर्षीय वीर नारायण को राजा घोषित किया गया और वीरनारायण की तरफ से रानी दुर्गावती ने शासन प्रबंध संभाला। रानी दुर्गावती के काल को 'गोंडवाना का स्वर्णिम युग' कहा गया है। रानी दुर्गावती के समय के गोंडवाना क्षेत्र की समृद्धि की प्रशंसा अबुल फजल ने अपनी पुस्तक 'आईन – ए – अकबरी' में की है। दुर्गावती के काल में उस पर तीन आक्रमण हुए – 1. मियामा अफगानों का 2. बाज बहादुर का, जो मालवा का शासक था, 3. मानिकपुर के मुगल सुबेदार आसफ खाँ का। प्रथम दोनों लड़ाईयों में महारानी को जीत मिली लेकिन तीसरी लड़ाई में रानी की पराजय हुई, रानी वीर गति को प्राप्त हुई। उनका पुत्र वीर नारायण भी मारा गया। रानी के मरने के पश्चात् गोंड़ सम्राज्य कमजोर पड़ गया।
वीरनारायण की मृत्यु के पश्चात् दलपति शाहि का भाई चन्द्र साहि राजा बना। मुगलों, मराठों के दबाव बढ़ते जाते हैं। ह्रदय शाहि इस

वंश का एक अन्य प्रताती राजा हुआ, जिसने बुन्देलों पर आक्रमण कर जुझर सिंह को हराया

गोंड़ शासन की विशेषताएँ

गोंड़ कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का विवरण नहीं मिलता। गोंड़कालीन साहित्य भी इस सन्दर्भ में सिर्फ संकेत भर देते हैं। मंडला जिला गजेटियर (1912) के अनुसार, लिखित अभिलेख न होने या खत्म हो जाने और स्थानीय परंपराओं के प्रमाणित एवं विश्वसनीय न होने के कारण गोंड़ शासन की विशेषताओं को संभालना अत्यंत कठिन हो जाता है। लेकिन सर डब्ल्यू. स्लीमैन (1844) को नरसिंहपुर के अभिलेखागार में एक नोट मिला, जिससे गोंड़ राज्य के आंतरिक नीतियों पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोंड़ राजाओं के अधीनस्थ अधिकांश भाग सामंती प्रमुखों के बीच बंटा हुआ था। राजा और सामंतों (गढ़पतियों) में एक मौखिक अनुबंध था, कि जब भी राजा को आवश्यकता होगी, लोगों का दल/टोली लेकर पहुँच जायेंगे। राजा को 'कर' के रूप में वनोपज, अनाज तथा हाथी भेंट किये जाते थे। रूपया, पैसा या नगदी नहीं। गोंड़ समाज में एक तरफ जहां जंगल/वन के प्रति अगाधप्रेम एवं श्रद्धा थी, वहीं दूसरी तरफ शेष समाज के लोगों के प्रति एक निरपेक्ष या अलगाव का भाव था। जैसे – जैसे लोग जनसंख्या वृद्धि एवं अन्य कारणों से इनके क्षेत्रों में प्रवेश करते गये, ये सघन वन एवं बीहड़ क्षेत्रों में और अंदर की तरफ घुसते गये। जब बाहरी लोग अकाल एवं बाहरी झगड़ों की वजह से दक्षिण की ओर बढ़े और उपजाऊ जमीन पर अपना दावा किया तो इन्होंने थोड़े से अन्न और घी के बदले अपरिमित उपजाऊ भूमि इन्हें दे दी। गोंड़ न तो गडढा खोदते थे, न ही कुआँ और न ही खेती करते थे। उन्हें अपने मकान की साज सज्जा, व्यक्तिगत जीवन में तड़क – भड़क का कोई विचार नहीं था। उनका जीवन सरल, सरस, अपरिग्रहपूर्ण था। उनके जीवन में एक प्रशांत आलस्य था। धन, संपत्ति, सुविधा, विवर्धन की कोई महत्वाकांक्षी विचार उनमें नहीं था। तलवार के बल पर दूसरों तक आतंक स्थापित करने, लूट – खसोट, दूसरों से कुछ छीनने की अपेक्षा पंच के माध्यम से कुछ ले देकर मामले के निपटारे में विश्वास था। तथापि किसान गोंड़ शासकों के इस महत्वाकांक्षा रहित नीतियाँ से लाभान्वित थे और हिरदैसाहि के शासन काल तक राज्य धन–धान्य और समृद्धि से सम्पन्न था। हिरदैशाहि के मरने के पश्चात् राज घराना आंतरिक रूप से कमजोर हो गया और मराठे इस क्षेत्र के शासक बन गये। (मंडला गजेटियर, 1912) संग्राम साहि द्वारा विभिन्न तालों का निर्माण एवं परवर्ती राजाओं द्वारा उनका सरंक्षण यह सिद्ध करता है कि खेती अच्छी होती थी एवं वर्षा तथा नदी के अलावा तालाबों से भी सिंचाई होती थी। अबुल फजल ने भी रानी दुर्गावती के समय राज्य की सम्पन्नता का वर्णन किया है।

क. सामान्य प्रशासन

गोंड़ राजा का दूरवर्ती राज्य क्षेत्र सामंतों, जागीरदारों या ताल्लुकेदारों में बंटी थी, जिन्हें गढ़पति कहा जाता था वे नाम मात्र को कर देते थे, परंतु जब भी राजा या गढ़ाधिपति को युद्ध या अन्य कारणों से आवश्यकता हो, तब एक निश्चित संख्या में लोगों को लेकर राजधानी में आ जाते थे। यह एक प्रकार की संघीय व्यवस्था थी। राजा, सामान्य लोगों की ही भाँति सरल एवं महत्वाकांक्षा से रहित थे। वे शांति को पसंद करते थे और एक बार राज्य स्थापित करने के पश्चात् शायद ही कभी उन्होंने अपनी तरफ से कोई लड़ाई छेड़ी हो या आक्रमण किया हो (मण्डला गजेटियर, 1914)

ख. गोंड़ राज्य की प्रशासनिक संरचना (सर्वेक्षण पर आधारित)

वन क्षेत्रों में एक व्यवस्थित नियम बनाने का श्रेय गोंड़ शासकों का है। गोंड़ राज्य के प्रत्येक ग्राम में एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई होती थी। गाँव के झगड़े इत्यादि सभी गाँव में ही निपटा लिए जाते थे। गाँव के मुखिया को भोई गौंटिया या मुकद्दम कहा जाता था। 04 गाँव का चौगान होता था, जिसका मुखिया मुकद्दम कहलाता था। आज कल मुकद्दम या पटेल गाँव के परम्परागत प्रधान को भी कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुकद्दम शब्द बाद में इनके शब्द से जुड़ा हो। पहले उसका कुछ अन्य नाम होता हो। 12 गाँव का बरही या परगना, 52 गाँव का गढ़ या गढ़ी एवं कई गढ़ियों से मिलकर गढ़ा बना होता है। अबुल फजल ने 'आईन – ए – अकबरी' में संग्राम साहि को 52 गढ़ों का स्वामी कहा है। इसने रानी दुर्गावती को 57 परगनों की स्वामिनी कहा है।

ग. गोंड राज्य की प्रशासनिक सरंचना

गढ़ा – कई गढ़ों को मिलाकर
गढ़ी या गढ़ – 25 ग्राम
परगना या बरही – 12 ग्राम
चौगान – 04 ग्राम की प्रशासनिक इकाई
ग्राम – प्राथमिक प्रशासनिक इकाई

कुछ लोगों का मानना है कि गोंड़ जनजाति में प्रारम्भ में गणराज्यीय व्यवस्था थी, जिसके अन्तर्गत गाँव के सयाने (बुजुर्ग) गाँव का मुखिया चुनते थे। चार गांव (चैगान) के चारों ओर मुखिया और बुजुर्ग मिलकर परस्पर सहमति से चौगान के प्रमुख को चुनता था। कई चौगानों के प्रमुख मिलकर अपने जातीय प्रमुख को चुनते थे। यह पद औपचारिक मात्र था, एवं आपसी झगड़ों का निपटारा एवं समाज के प्रतिनिधित्व का कार्य राजा का होता था, राजा भी सरल एवं सामान्य जीवन जीने वाला होता था। बाद में पद आनुवांशिक हो गये।

जनता या प्रजा की सामाजिक स्थिति

प्रजा सरल, सुखी, शांत एवं संतुष्ठ थी। प्रजा में राजा के प्रति आदर, सम्मान और समर्पण का भाव था, जो आज भी उनके गीतों, त्यौहारों में उनका नाम लेकर तथा गाँवों के नाम उनके नाम पर रखकर उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं। आज भी गाँवों में राजा के प्रतिनिधि के रूप में भाई, मुखिया या मुकद्दम की पूजा की जाती है।

शोधार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न इस प्रश्न पर कि आप लोगों के लिए अभी की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी है या पहले का गोड़ शासन अच्छा था।

सारणी क्र. 2: गोंड़ शासन सम्बन्धी मान्यता (प्रतिशत में)

जनजाति	अभी का	पहले अच्छा था	पता नहीं	कुल
गोंड़	10	70	20	100

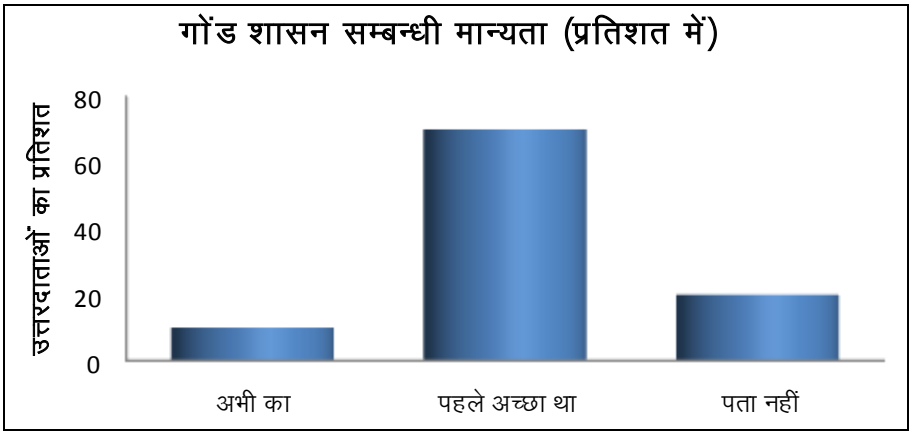

आरेख क्र. 1

70 प्रतिशत लोगों का मानना है कि हमारे गोंड़ राजा और प्राचीन परम्परा अच्छी थी। 10 प्रतिशत लोग मानते हैं कि अब शिक्षा का प्रचार हुआ है, लोग जागृत हुए हैं। आधुनिक व्यवस्था तुलनात्मक रूप से अच्छी है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गोंड़ जनजाति अपने प्राचीन शासक एवं शासन केप्रति आदर एवं सम्मान का भाव रखती है।

मण्डला के गोंड़ शासन एक संगठक के रूप में

कुछ गोंड़ शासक बेहतर संगठक थे। संग्राम साहि ने राज्य का विस्तार किया, व्यवस्था सुदृढ़ की। सिंचाई एवं पीने के लिए ताल – तलैया का निर्माण कराया। सोने के सिक्के चलाये। सुरक्षा की दृष्टि से कई किलों का निर्माण कराया। हरदे शाह ने हिरदेनगढ़ तालुका में कई मितव्ययी एवं अच्छे किसान, लोधी एवं कुर्मियों को बसाया। उसने एक लाख से अधिक आम के पेड़ लगवाए। गढ़ा के समीप गंगा सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया। उसने अपनी नई राजधानी मण्डला से हटाकर रामनगर में बसायी। इसके बनाये विभिन्न गढ़ों, तालाबों, किलों, मंदिरों के अवशेष अभी भी मिलते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि जनता संतुष्ट थी और कहीं भी गोंड़ राज के प्रति जनता के विरोध, विद्रोह या बगावत के साक्ष्य नहीं मिलते।

निष्कर्षतः गोंड़ जनजाति का इतिहास काफी समृद्ध है। एक बृहद क्षेत्र पर इन्होंने सिर्फ शासन स्थापित किया अपितु शताब्दियों तक उसे बनाए एवं बचाए रखे। दुनिया के इतिहास के महनतम राजवंश भी शायद ही इतने वर्षों तक अपनी अपने वंश की सत्ता को स्थायीत्व प्रदान कर सके हैं। इस बृहद् कालखण्ड में अन्य जातियों के साथ इनके सामाजिक, वैवाहिक, आर्थिक एवं युद्ध के संबन्ध रहे हैं। बाध्य समाज में हो रहे विविध हलचलों के प्रति समानुकूल अनुक्रिया इनके द्वारा व्यक्त की गई, साथ ही अपने समाज की विशिष्टता एवं मूल्य को भी संरक्षित रखा गया, लेकिन कालक्रमानुसार जहां आर्थिक उपादान के साधनों में एवं मानवीय सोच में परिवेश के पश्चात् शेष समाज आर्थक रूप से उन्नति करते गए इनकी उत्तरोत्तर अवनति होती गई।

उत्पत्ति विषयक अवधारणा

भारत के प्राचीन एवं परम्परागत साहित्य में कहीं भी गोंड़ शब्द का वर्णन नहीं मिलता। इस समुदाय के लोग भी अपने को गोंड़ नहीं अपितु, कोयतोर कहते हैं, और अपना परिचय गोंड़ जनजाति के रूप में न देकर अपनी उपजाति के नाम के साथ कोयतोर शब्द लगा देते हैं। रशल और हीरालाल (1935) के अनुसार, ''गोंड़ एवं उनकी उपजातियाँ स्वयं की पहचान कोयतोर या कोय शब्द से करती हैं, जिसका तात्पर्य मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य होता है।'' आर पी. मिश्रा (1978) ने कोयतोर का अर्थ वन मनुष्य या बन्दर की सन्तान लगाया। अन्य विद्वान यथा डॉ. प्रकाश चरण प्रसाद (2001), डॉ. प्रमोद दुबे (2000), भी गोंड़ जनजाति का सम्बन्ध रामायण में वर्णित राम – सेना बालि, सुग्रीव, हनुमान, अंगद आदि से जोड़ा है। डॉ. घनश्याम गुप्त (1978) के अनुसार, कोयतूर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है–

काको – माँ की माँ
तादो – पिता का पिता

अर्थात् समान फसल वर्ग, ग्राम भूमि, देव, गोत्र, देवता वाला समूह। अबूझमाड़ी गोंड़ों का संभवतः सबसे प्राचीन वर्ग हैं, और बस्तर में पाया जाता है, जिसमें निम्न लिखित 06 विशेषताएँ होती हैं। वे सब कोयतोर में शामिल हैं। (तिवारी शिवकुमार, 1992)

1. उन्दी कोड़ता, उन्दी काडिंग – एक समान त्योहार (फसल पर्व)
2. करसाड़ – पेन का उत्सव एक समान
3. कड़ती – गोत्र भंग निषेध का नियम एक समान
4. कसेर गायता – पुजारी और पूजा एक समान
5. कोला – घर में देव कोना या देवस्थान एक समान
6. कल कल्क जागा – पत्थरों से पूर्ण भूमि (निवास)

जाति या जनजातीय समुदाय को संबोधित करने के लिए गोंड़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुगल इतिहासकारों द्वारा किया गया। गियर्सन (1931) का कथन है कि मध्यभारत से लेकर पूर्वी घाटों और हैदराबाद तक जहां कहीं भी गोंड़ अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने को कोया या कोयतोर कहते हैं। केवल मद्रास और हैदराबाद की सरकारी रिपोर्टों में इसकी समकक्ष ध्वनियों के समीपवर्तीय नाम का प्रयोग किया है। मध्यप्रांत के तद् विषय साहित्य में हर स्थान पर इसके लिए स्थानीय हिन्दुओं ने आदिवासी नाम दिया है। भारत में सरकारी अधिकारियों ने धीरे – धीरे सभी 'कोयतोर' लोगों को गोंड़ जाति कहना शुरू कर दिया और यह शब्द रूढ़ हो गया एवं यही इन जातियों का नाम एवं पहचान बन गई।

शोधार्थी के द्वारा किया गया सर्वेक्षण निम्न तालिका में प्रस्तुत है –

सारणी क्र 3: जाति एवं उपजाति (प्रतिशत में)

कोया	कोयतूर	गोंड़	अन्य	कुल
0	8	80	12	100

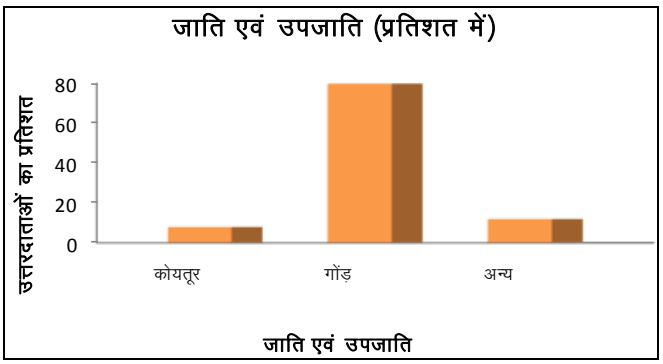

आरेख क्र. 2

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 80 प्रतिशत लोगों ने अपनी जाति गोंड़ बताये, 8 प्रतिशत लोगों ने अपनी उपजाति के साथ कोयतूर लगाकर बताया, जबकि 12 प्रतिशत ने केवल अपनी उपजाति का नाम बताया। तालिका से स्पष्ट हे कि गोंड़ जनजाति के लोग अपना नाम गोंड़ बताते हैं, एवं गोंड़ नाम से उन्हें कोई परहेज या शिकायत नहीं है।

स्टीफन हिस्लप (रिचर्ड टेम्पल, 1866) की राय में गोंड़ या गुण्ड शब्द कोंड या कुण्ड का अपभ्रंश है। कोंड शब्द तेलगू भाषा के कोंड़ा से निकला है, जिसका अर्थ पर्वत या पहाड़ होता है। इस प्रकार गोंड़ शब्द पर्वत में रहने वाले या पर्यायवाची माना गया है। डॉ. घनश्याम गुप्त (1998) इस उत्पत्ति का तर्कशून्य मानते हैं, और लिखते हैं, कि ''अनेक शब्द जैसे, गेडा (जंगल), गरिया (पत्थरों के ढेर के रूप में पूजे जाने वाले देवी – देवता) और गुडा (सुअर वाड़ा या शूकर बलि) ये तीनों ऐसे प्रतीकात्मक शब्द हैं, जो जंगल के लिए प्रयुक्त होते हैं। भारत में असंख्य वन हैं, तथा उतनी ही वनवासी जनजातियाँ, जो गेडा निवासी हैं, अपने देवी – देवताओं को गरिया रूप में पूजते हैं, और सुअर पालन करते हैं, या उनकी बलि देते हैं, अर्थात् गुडाधारी हैं, और इसी कारण वे गोंड़ कहे जाते हैं।''

उच्चारण में समानता के कारण विभिन्न विद्वानों ने जनजातीय सन्दर्भ में गोंड शब्द की उत्पत्ति का अनुमान लगाया है। इसी आधार पर कुछ अन्य विद्वानों ने (अग्रवाल, रामभरोसे) गौर (क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों का एक गोत्र) तथा गौड़ (ब्राह्मणों एवं कायस्तों की एक टाईटिल) से इनका सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास किया है। सुल्तानपुर के क्षत्रियों का एक गोत्र का नाम भी गोंड़ है।

गोंड़ों के वर्ग भेद

फुक्स के अनुसार, मंडला में गोंड़ों के चार वर्ग पाये जाते हैं। ये वर्ग हिन्दू वर्ण – व्यवस्था से प्रभावित है। फुक्स (1860) के गिनाए चार वर्ग निम्नलिखित हैं –

1. देव गोंड़ – ये एक दम शाकाहारी भोजन करते हैं। तथा छुआ छूत मानते हैं।
2. सूर्यवंशी गोंड़ – ये अपनी उत्पत्ति सूर्य से मानते हैं।
3. सूर्यवंशी देव गोंड़ – ये सूर्यवंशी देव गोंड़ ही हैं, किन्तु इनकी उत्पत्ति का स्थान देव गढ़ माना जाता है।
4. रावण वंशी गोंड़ – रावणवंशी गोंड़ मद्यपान तथा सुअरों की बलि देते हैं।

हिस्लोप (1866) के अनुसार, राजगोंड़ जिन लकड़ियों से भोजन बनाते हें, उन्हें पवित्र करने के लिये पहले उन पर पानी छिड़क लेते हैं। राजगोंड़, गोंड़ों की सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। राजगोंड़, उच्च वर्ग के हिन्दुओं के समान ही यज्ञोपवीत धारण करते हैं।

एक ओर राजगोंड़ों में सांस्कृतिक परिवर्तन की दर काफी तीव्र थी तो दूसरी तरफ बस्तर के माड़िया और मुड़िया लोगों में आदिवासी सांस्कृतिक स्थायित्व का बोध होता है। शेष लोग इन दोनों स्तरों के बीच पाए जाते हैं। विकास के स्तरों का यह अंतर विभिन्नता, क्षेत्रीय समुहों के भौगोलिक एकाकीपन, सभ्यता के आदान – प्रदान की स्थिति एवं पर्यावरणीय संसाधन पर आधारित हैं। फुक्स (1960) के अनुसार गोंड़ों का सामाजिक संगठन दो विभिन्न प्रणालियों पर आधारित है। ये प्रणालियाँ क्रमशः कुलगत एवं क्षेत्रीय हैं। गोंड़ों ने कुलगत सीमा प्रणाली को किन्हीं अंशों तक समूचे गोंडवाना में संशोधित कर लिया था और वह कालान्तर में आज की 'गढ़' प्रणाली के रूप में राजपूतों के प्रभाव से विकसित हुई, जो गोंड़ क्षेत्र में सैनिक अथवा भू–स्वामियों के रूप में स्थाई रूप से रहने लग गए थे। हिन्दुओं के सांस्कृतिक प्रभाव से राजगोंड़ या खटोलिया तो उच्च वर्ग में सम्मिलित हो गए, किन्तु सामान्य या धुरगोंड़ों को हिन्दू समाज के निचले स्तर में हीं मान्यता मिल पाई।

गोंड़ों का क्षेत्रीय विभाजन

निवास स्थान की दृष्टि से गोंड़ों के कई भेद माने जाते हैं। (रामभरोसे अग्रवाल,1961)

माड़िया – बस्तर के पहाड़ी गोंड़। बस्तर की हल्बी बोली में माड़ शब्द का अर्थ पहाड़ होता है।

मुड़िया – बस्तर के मैदानी गोंड़।

खटुलहा – खटोला गाँव से विस्तारित या विस्थापित गोंड़

लांजिहा – लांजी के गोंड़

लारहिया – छत्तीसगढ़ के गोंड़ (धुर गोंड़, मुड़ियागोंड़, अमान गोंड़)

आदिलाबाद – राजगोंड़

वारंगत – कोया गोंड़

मड़लहा – मण्डला के गोंड़

गेता – चांदा (महाराष्ट्र)

गट्टा या गोट्टा – चांदा के पहाड़ी गोंड़

मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत गोंड़ों के उपभेद

1. अगरिया 2. अरख 3. अर्रख 4. असुर 5. बड़ी माड़िया 6. बड़ा माड़िया 7. भरोला 8. भिम्मा 9. भूता 10. कोयला भूत 11. कोयला भूती 12.भर 13. वायसन हार्न माड़िया 14. छोटा माड़िया 15. दंडामी माड़िया 16. धुर 17. धुर्वा 18. धूलिया 19. दोरला 20. गायनी 21. धोवा 22. गत्रा 23. गत्ती 24.गैता 25. गोड़ गोवारी 26. हिल माड़िया 27. कन्दा 28. कलंग 29. खटोला 30. कोइतार 31. कोया 32. खिरवार 33. खिरवारा 34. कुचामी माड़िया 35. कुचाकी माड़िया 36. मन्नेवार 37. माध्या 38. माना 39. मोगिया 40. मोटया 41. मुड़िया 42. मुरिया 43. नागारची 44.नागवंशी 45. ओझा 46. राज 47. सोनझरी झेरक 48. याटिका 49. योट्या 50. बड़े माड़िया 51. दरोई।

निष्कर्षतः गोंड़ जनजाति का इतिहास काफी समृद्ध है। एक बृहद् क्षेत्र पर इन्होंने केवल शासन स्थापित किया अपितु शताब्दियों तक उसे बनाए एवं बचाए रखा। दुनिया के इतिहास के महानतम राजवंश भी शायउ ही इतने वर्षों तक अपनी अपने वंश की सत्ता को स्थायित्व प्रदान कर सके हैं। इस बृहद् कालखण्ड में अन्य जातियों के साथ उनके सामाजिक, वैवाहिक, आर्थिक एवं युद्ध के संबन्ध रहे हैं। बाध्य समाज में हो रहे विविध हलचलों के प्रति समानुकूल अनुक्रिया–प्रतिक्रिसर इनके द्वारा व्यक्त की गई साथ ही अपने समाज की विशिष्टता एवं मूल्य को भी संरक्षित रखा गया।

लेकिन कालक्रमानुसार जहां आर्थिक उपाउान के साधनों में एवं मानवीय सोच में परिवर्तन के पश्चात् शेष समाज आर्थिक रूप से उन्नति करते गए उनका उत्तरोत्तर अवनति होती गई।

सन्दर्भ

1. ओझा रूपनाथ (1940), ''गढ़ेशनृपर्णनम्'' सं. जी. वी. भावे, नागपुर यूनिवर्सिटी।
2. अबुल फज़ल (1927), ''आइन–ए–अकबरी'' रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता।
3. फन्च्स, स्टीफन (1960) ''द गोंड एण्ड भूमिया ऑफ ईस्टर्न मण्डला'' बाम्बे न्यू लिटरेचर पब्लिशिंग हाउस।
4. फ्यूरर–हेमन्ड्रोफ (1939) ''राजगोंड ऑफ आदिलाबाद : ए स्टडी इन एसकल्चूरेशन'' लंदन मेकमिलन।
5. ग्रिग्सन, डब्ल्यू. व्ही. (1938) ''द मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर'' ऑक्सफोर्ड।
6. जोशी, सतीश चन्द्र (1981), "गोंड जनजाति का एक ग्राम, एक समाजशास्त्रीय अध्ययन", विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. मामोरिया सी. बी. (1957) ''ट्राइबल डेमोग्राफि इन इंडिया'' इलाहाबाद किताब महल।
8. पाठक, गणेशदत्त (1905), ''गढ़ा मण्डला का पुरातन इतिहास'' चर्च मिशन प्रेस, जबलपुर।
9. वनस्वर शोध पत्रिका, अंकजून,1997 , वन साहित्य अकादमी, जबलपुर।